न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 74 / 2021 / बाड़मेर

अपीलांट **रेस्पोडेंटगण**

1. पोलाराम पुत्र चिमनाराम 2. खीमाराम पुत्र चिमनाराम 3. बंशीलाल पुत्र चिमनाराम 4. बाबुलाल पुत्र श्री चिमनाराम जाति माली निवासी कांखी तहसील सिवाना जिला बाड़मेर	1. लीलादेवी पुत्री मानाराम पत्नी रणछोडजी जाति माली निवासी ओटवाडा हाल कांखी तहसील सिवाना जिला बाड़मेर 2. दडियादेवी पुत्री मानाराम पत्नी जोगाराम जाति माली निवासी कुण्डल हाल कांखी सिवाना जिला बाड़मेर 3. पुरखाराम पुत्र चिमनाराम जाति माली निवासी कांखी तहसील सिवाना जिला बाड़मेर 4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सिवाना

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर सिवाना द्वारा राजस्व वाद संख्या 55 / 2012 बअनवान लीलादेवी बनाम पोलाराम वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.09.2021 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री बाबुलाल सांखला अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री कैलाश पुरी रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—12.09.2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध खातेदारी घोषणा, रेकर्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया। मौजा कांखी के खसरा संख्या 76 रकबा 48.17 बीघा, खसरा संख्या 74 रकबा 248.08 बीघा कुल रकबा 297.05 बीघा भूमि आई हुई है। उक्त भूमि वादीगण के दादा चिमनाराजी के कब्जा काश्त खातेदारी की थी, चिमनारामजी के छह पुत्र थे सबसे बडे पोलाराम, मानाराम, पुरखाराम, खीमाराम, बंशीलाल, बाबुलाल थे जिसमें से वादीगण के पिता मानाराम का देहान्त चिमनाराजी के जीवित रहते ही संवत 2031 में हो गया था मानाराम के दो पुत्रीयां थी जिसमें बडी लीला व छोटी दडिया थी जो वादीनीगण है। वादीगण के दादा चिमनाराजी का देहान्त संवत 2051 में हुआ। वादीगण के दादा चिमनाराम के देहान्त के बाद उक्त वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण संख्या 356 प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 व वादीगण के नाम का बहिस्सा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

बराबर–बराबर दर्ज करना था, लेकिन चिमनारामजी के देहान्त के वाद वादीगण के पिता मानाराम व वादीगण का नाम दर्ज न कर मात्र प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 का नाम ही दर्ज किया गया, जबकि उक्त भूमि में वादीगण का प्रतिवादीगण के साथ बहिस्सा बराबर–बराबर दर्ज करना था। चिमनारामजी जन्म से हिन्दु थे तथा हिन्दु रहते हुये चिमनारामज की मृत्यु संवत् 2051 में हुई तथा चिमनारामजी के पुत्र मानाराम का देहान्त संवत 2031 में हुआ। विधि के प्रवर्तन से वादीगण जो कि हिन्दु है। चिमनारामजी के छह वारिस थे इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में वादीगण का 1/6 हिस्सा मानारामजी के वारिस होने से विधिक रूप से वनता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद में अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिये विना अपीलाधीन आलोच्य निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये विना पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलव किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि विधि का यह सुस्थापित नियम है कि वाद में प्रतिवादीगण को सुनवाई का समुचित अवसर व जबाव पेश करने के बाद तनकीयात कायम की जाकर दोनों पक्षों की साक्ष्य ली जाकर स्वतंत्र निर्णय पारित करे लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई। अपीलांटगण द्वारा अपनी तरफ से पैरवी करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अधिवक्ता नियुक्त किया गया लेकिन अपीलांटस के अधिवक्ता ने पैरवी नहीं की गई। माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों द्वारा यह बार बार अवधारित किया गया है कि अधिवक्ता द्वारा की गई लापरवाही की सजा पक्षकार को नहीं दी जा सकती है। संपूर्ण भारत देश में कोरोना महामारी के कारण लॉकडाऊन घोषित होने की वजह से अपीलकर्ता हस्तगत प्रकरण में समुचित पैरवी करने से वंचित रह गये है ऐसी स्थिति में अपीलकर्ता को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य भी एकतरफा लेखबद्ध की गई है तथा अपीलकर्ता को उनसे जिरह करने का अवसर दिये बिना ही उक्त निर्णय एवं डिक्री जारी की गई है जो विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना पारित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उतरदाता संख्या 01 व 02 ने

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अधीनस्थ न्यायालय में वाद धारा 6 हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत पेश की अनुतोष चाहा गया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी धारा 6 हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत अनुतोष दिया गया। धारा 6 हिन्दु उतराधिकारी अधिनियम के अनुसार पिता के जीवनकाल में हक हिस्सा की घोषणा संबंधि है जबकि उक्त वाद के तथ्य भिन्न है, पक्षकारान का पिता जीवत नहीं है। ऐसी स्थिति में वाद विधि द्वारा वर्जित होने से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य है। अपीलांटगण अपीलाधीन आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार है जिसको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये विना पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन आराजी वादीगण के दादा चिमनाराजी के कब्जा काश्त खातेदारी की थी, चिमनारामजी के छह पुत्र थे सबसे बडे पोलाराम, मानाराम, पुरखाराम, खीमाराम, बंशीलाल, बाबुलाल थे जिसमें से वादीगण के पिता मानाराम का देहान्त चिमनाराजी के जीवित रहते ही संवत 2031 में हो गया था मानाराम के दो पुत्रीयां थी जिसमें बडी लीला व छोटी दडिया थी जो वादीनीगण है। वादीगण के दादा चिमनाराजी का देहान्त संवत 2051 में हुआ। वादीगण के दादा चिमनाराम के देहान्त के बाद उक्त वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण संख्या 356 प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 व वादीगण के नाम का बहिस्सा बराबर–बराबर दर्ज करना था, लेकिन चिमनारामजी के देहान्त के बाद वादीगण के पिता मानाराम व वादीगण का नाम दर्ज न कर मात्र प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 का नाम ही दर्ज किया गया, जबकि उक्त भूमि में वादीगण का प्रतिवादीगण के साथ बहिस्सा बराबर–बराबर दर्ज करना था। चिमनारामजी जन्म से हिन्दु थे तथा हिन्दु रहते हुये चिमनारामज की मृत्यु संवत् 2051 में हुई तथा चिमनारामजी के पुत्र मानाराम का देहान्त संवत 2031 में हुआ। विधि के प्रवर्तन से वादीगण जो कि हिन्दु है। चिमनारामजी के छह वारिस थे इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में वादीगण का 1/6 हिस्सा मानारामजी के वारिस होने से विधिक रूप से बनता है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद को स्वीकार कर दिया गया। अपीलाधीन आराजी पैतृक भूमि है जिसमें रेस्पोडेंट/वादीनी का जन्म से ही हक नियत है। अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी तरफ से अधिवक्ता नियुक्त किया गया तथा जबाव दावा भी पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट की उपस्थिति में पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। दोनों पक्षों की वाद समुचित सुनवाई अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील रेसपोडेंटस को तंग व परेशान करने की नियत से पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील मय खर्चा खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाधीन आराजी पैतृक है। जिसमें वादीनी का जन्म से ही अधिकार है। वादीनीगण मानाराम की जायन्दा संतान है और इन्हे उत्तराधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। मानाराम वल्द चिमनाराम की पैतृक सम्पत्ति में वादीनी का जन्म से ही हक हिस्सा है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटगण द्वारा पेश जवावदावा में वादीनीगण को मानाराम की पुत्रियां स्वीकार किया है। स्वयं की स्वीकारोक्ति से बढकर कोई साक्ष्य नहीं हो सकती। उतरदाता संख्या 03 पुरखाराम जो वादीनीगण का चाचा है तथा चिमनाराम का पुत्र है ने मूलवाद के विचारण के दौरान इकबालिया जबावदावा पेश कर वादीगण के वाद को स्वीकार किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद में दिनांक 17.09.2021 को बाद समुचित सुनवाई अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित संपूर्ण प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अपीलांट येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते है और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। प्रतिवादीगण स्वयं ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश प्रार्थना–पत्र एवं जबावदावे में रेस्पोडेंट/वादीनीगण को मानाराम की पुत्रियां स्वीकार किया गया है जब प्रतिवादी स्वयं की स्वीकारोक्ति है कि वादीनीगण मानाराम की पुत्रियां है तो उसके पश्चात प्रकरण अंतिम निस्तारण के स्टेज पर पंहुच जाता है। हाजा न्यायालय द्वारा भी अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपील के विचारण के दौरान अपीलांटगण के द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजात, साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया गया जिससे यह साबित हो रहा हो कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री मानने योग्य नहीं हो। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात प्रदर्श–4 चमना पुत्र तेजा के फौतगी का नामांतकरण व प्रदर्श–5 खतौनी से अपीलाधीन आराजी पैतृक भूमि साबित है। प्रदर्श–6 विधानसभा निर्वाचन नामावली

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

1971 भाग संख्या 67 में माना/चमना का नाम अंकित है इससे यह तथ्य सावित है कि मानाराम अपीलाधीन आराजी के मूल खातेदार चिमना का पुत्र है। उपरोक्त समस्त तथ्यों को अपीलांटगण द्वारा अधीनरथ न्यायालय के समक्ष पेश जवावदावे में स्वकार किया है। अपीलाधीन आराजी पैतृक भूमि होने से अधीनरथ न्यायलाय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि सम्मत पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। मेरी सुविचारित राय में अपील खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सिवाना द्वारा राजस्व वाद संख्या 55/2012 बअनवान लीलादेवी बनाम पोलाराम वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.09.2021 को यथावत रखा जाता है।

(प्रतिष्ठा मिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 12.09.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर